पुलिस थाना विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन भोपाल के अपराध क0 195/2024 (म0प्र0 राज्य द्वारा विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त विरूद्ध सौरभ शर्मा व अन्य) की रिमाण्ड आदेश पत्रिका दिनांक–01–04–2025, जिसमें आवेदक/अभियुक्त सौरभ शर्मा, शरद जायसवाल एवं चेतनसिंह गौड़ की ओर से प्रस्तुत व्यतिक्रम जमानत निराकृत गये हैं की प्रतिलिपि <u>बी0ए0</u> नंबर 847/2025 में संलग्न किये जाने हेतु।

<u>01–04–2025</u> राज्य द्वारा श्री विवेक गौड़, विशेष लोक अभियोजक।

अभियुक्त सौरभ शर्मा न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से श्री दीपेश जोशी अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त चेतन सिंह गौड़ न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से श्री हरीश मेहता अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त शरद जायसवाल न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से श्री रजनीश बरया अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण अभियुक्त सौरभ शर्मा की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 187 बी0एन0एस0 एवं अभियोजन की ओर से प्रस्तुत रिमाण्ड आवेदन पर जवाब–तर्क एवं प्रतिवेदन हेतु नियत है।

श्री वीरेन्द्र सिंह, उपपुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन ने उपस्थित होकर प्रतिवेदन सहित अपराध क0 195/2024 की केस डायरी प्रस्तुत की।

इसी दौरान अभियुक्त शरद जायसवाल की ओर से धारा 167 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन की प्रति विशेष लोक अभियोजक को प्रदान की गई।

इसी दौरान अभियुक्त चेतन सिंह गौड़ की ओर से दिनांक 30–03–2025 को प्रस्तुत आवेदन **<u>बी0ए0 नंबर 847/2025</u>** अंतर्गत धारा 187 (3)(2) बी0एन0एस0 का आवेदन पंजीयन उपरांत माननीय सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से प्राप्त हुआ।

उक्त तीनों आवेदन–पत्रों का निराकरण एक ही

आदेश से किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उक्त तीनों आवेदन–पत्रों पर उभयपक्ष को सुना गया।

प्रकरण आवेदन–पत्रों पर आदेश हेतु मध्यान अवकाश उपरांत प्रस्तुत हो।

हस्ता0/–

(राम प्रताप मिश्र)
विशेष न्यायाधीश,
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988
भोपाल (म0प्र0)

पुनश्च,

राज्य द्वारा श्री विवेक गौड़, विशेष लोक अभियोजक।

अभियुक्त सौरभ शर्मा न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से श्री दीपेश जोशी अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त चेतन सिंह गौड़ न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से श्री हरीश मेहता अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त शरद जायसवाल न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से श्री रजनीश बरया अधिवक्ता उपस्थित।

इस आदेश द्वारा अभियुक्त शरद जायसवाल की ओर से प्रस्तुत व्यतिक्रम जमानत आवेदन दिनांक 30–03–2025 **(बी0ए0 नंबर 847/2025)**, अभियुक्त सौरभ शर्मा की ओर से प्रस्तुत व्यतिक्रम जमानत आवेदन दिनांक 29–03–2025 तथा अभियुक्त चेतन सिंह गौड़ द्वारा प्रस्तुत व्यतिक्रम जमानत आवेदन दिनांक 01–04–2025 का एकसाथ निराकरण किया जा रहा है। इस आदेश की एक प्रति **बी0ए0 नंबर 847/2025 में रखी जावे।**

अभियुक्त सौरभ शर्मा की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 187 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 संक्षेप में यह है कि अभियुक्त के विरूद्ध विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन में अपराध क्र0 195/2024 अंतर्गत धारा 13 (1)(बी) एवं धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) पंजीबद्ध है। आरोपित अपराध इतनी अवधि के लिये जो चार वर्ष से

कम नहीं होगी, किन्तु जो 10 वर्ष तक हो सकेगी, के कारावास से दण्डनीय अपराध है, 60 दिवस की विहित अवधि के अंदर अभियोग–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 187 (3)(2) के तहत 60 दिन से अधिक अवधि के लिये निरोध प्राधिकृत नहीं किया जा सकता है। अभियुक्त दिनांक 28–01–2018 से अभिरक्षा में है, 60 दिवस की अवधि दिनांक 28–03–2025 को पूर्ण हो गई है और अभियोग–पत्र पेश नहीं हुआ है, इसलिये वह व्यतिक्रम जमानत का हकदार है। उसके फरार होने और साक्ष्य को प्रभावित किये जाने की कोई संभावना नहीं है, वह जमानत की शर्तों का पालन करने को तैयार है। अतः उसे जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना है।

अभियुक्त शरद जायसवाल की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 167 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 187 के तहत पढ़ा जा रहा है, संक्षेप में यह है कि अभियुक्त शरद जायसवाल दिनांक 28–01–2025 से अभिरक्षा में है। रिमाण्ड की अवधि 60 दिन पूर्ण हो चुकी है और अभियोग–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त समस्त आदेशों का पालन करने को तैयार है तथा जमानत प्रस्तुत करने को तैयार है। अतः उसे जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना है।

अभियुक्त चेतन सिंह गौड़ की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन दिनांक 30–03–2025 आवेदन अंतर्गत धारा 187 (3)(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 संक्षेप में यह है कि अभियुक्त चेतन सिंह को दिनांक 28–01–2025 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, 60 दिवस की अवधि दिनांक 28 मार्च, 2025 को पूर्ण हो चुकी है। अभियोग–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिये व्यतिक्रम जमानत का अभियुक्त पात्र हो गया है। अभियुक्त के भागने या फरार होने की कोई संभावना नहीं है। वह उचित प्रतिभूति प्रस्तुत करने हेतु तत्पर है। अतः उसे जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना है।

विवेचक उपपुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह के द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण

अभी विवेचनाधीन है। जमानत होने पर अभियुक्त सौरभ शर्मा के फरार होने की संभावना है तथा साक्ष्य को प्रभावित किये जाने की संभावना है।

उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये गये।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने अभियुक्त शरद जायसवाल के आवेदन पर तर्क किया है कि आवेदन धारा 167 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, इसलिये आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने यह भी तर्क किया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 13 (1)(बी) सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के संबंध में दण्डनीय अपराध के संबंध में अन्वेषण जारी है। आरोपित अपराध 10 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध है इसलिये 60 दिवस की अवधि में अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं है। साथ ही यह भी तर्क किया है कि दिनांक 29–03–2025 को 60 दिवस पूर्ण नहीं हुये हैं। इसलिये अभियुक्त सौरभ शर्मा की ओर से प्रस्तुत आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

अभियुक्त सौरभ शर्मा की ओर से उपसंजात विद्वान अभिभाषक श्री दीपेश जोशी के द्वारा **न्यायदृष्टांत मोहम्मद साजिद विरूद्ध केरल राज्य 2025 एससीसी ऑनलाइन केरल 985, एम रविन्द्रन विरूद्ध इंटेलिजेंस ऑफिसर डॉयरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस (2021) 2 एससीसी 485, राकेश कुमार पॉल विरूद्ध स्टेट ऑफ असम (2017) 15 एससीसी 67** प्रस्तुत करते हुये तर्क किया गया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध नहीं है, बल्कि 10 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध है, इसलिये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 187 (3) (2) के प्रावधान आकृष्ट होते हैं और अभियुक्तगण को 60 दिन की अवधि की समाप्ति पर निरोध प्राधिकृत नहीं किया जा सकता है। अभियुक्तगण दिनांक 28–01–2025 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं, 60 दिवस की अवधि पूर्ण हो चुकी है। इसलिये अभियुक्तगण व्यतिक्रम जमानत के हकदार हैं और वह जमानत प्रस्तुत करने के

लिये तैयार हैं। इसलिये उन्हें जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन है।

केस डायरी एवं रिमाण्ड प्रपत्र तथा प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर प्रकट होता है। अभियुक्तगण के विरूद्ध विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल में अपराध क0 195/2024 धारा 13 (1)(बी), 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के तहत पंजीबद्ध है, जिसमें दिनांक 28–01–2025 को अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया गया था, तभी से अभियुक्तगण अभिरक्षा में हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 13(2) के अधीन दण्डनीय अपराध इतनी अवधि के लिये जो चार वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो 10 वर्ष तक हो सकेगी, के कारावास से दण्डनीय अपराध है। अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के आलोक में विधि सुस्पष्ट है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 187(3)(ii) के अंतर्गत अधिकतम 10 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध आते हैं, इसलिये हस्तगत मामले में 60 दिन से अधिक अवधि के लिये अभियुक्तगण की अभिरक्षा प्राधिकृत नहीं की जा सकती है। 60 दिन की अवधि की समाप्ति पर अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था।

केस डायरी का परिशीलन करने पर यह भी स्पष्ट है कि अभी भी अन्वेषण अपूर्ण है। अभी भी अभियोग–पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि अभियुक्तगण के प्रथम रिमाण्ड दिनांक 28–01–2025 से आज दिनांक तक 64 दिन हो चुके हैं, अर्थात् दिनांक 28–01–2025 से दिनांक 28–03–2025 तक 60 दिवस की अवधि पूर्ण हो जाती है। अन्वेषणकर्ता द्वारा 60 दिवस के अंदर अभियोग–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। इसलिये अभियुक्तगण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 187 (3)(ii) के तहत व्यतिक्रम जमानत के हकदार हो गये हैं। उनका आगे और निरोध प्राधिकृत नहीं किया जा सकता है।

अतः अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 187 (3)(ii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,

2023 स्वीकार करते हुये आदेशित किया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त द्वारा **1,00,000–1,00,000/– रू0 (एक लाख–एक लाख रूपये)** की सक्षम प्रतिभूति एवं इतनी ही राशि के बंध–पत्र इस शर्त के साथ प्रस्तुत किये जाएं कि वह किसी भी प्रकार से साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेंगे, अन्वेषण में सहयोग करेंगे, अन्वेषणकर्ता द्वारा आहूत किये जाने पर उनके समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रत्येक पेशी में विचारण के दौरान उपस्थित होते रहेंगे तथा न्यायालय के अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जायेंगे, तो उन्हें व्यतिक्रम जमानत पर छोड़ा जाये।

केस डायरी के साथ आदेश की प्रति के साथ पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त संगठन भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

रिमाण्ड प्रपत्र दिनांक 11–04–2025 को पेश हो।

हस्ता0/–

(राम प्रताप मिश्र)
विशेष न्यायाधीश,
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988
भोपाल (म0प्र0)

सत्य प्रतिलिपि

RAM PRATAP MISHRA
Digitally signed by RAM PRATAP MISHRA
Date: 2025.04.01 19:24:16 +0530

(राम प्रताप मिश्र)
विशेष न्यायाधीश,
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988
भोपाल (म0प्र0)